कुलसचिव कार्यालय
डायरी सं० 1229
दिनांक 10/09/2025

कुलपति सचिवालय
Vice- Chancellor Secretariat
दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गया
Central University of South Bihar, Gaya
डायरी सं०/ Diary No. 212
दिनांक / Date 09.09.2025

Registrar
9.9.25

सं. 12011/01/2022-रा.भा.ए.
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
(राजभाषा प्रभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 09 सितंबर, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय शिक्षा मंत्री का संदेश।

हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर दिनांक 14 सितंबर, 2025 को माननीय शिक्षा मंत्री का 'संदेश' संलग्न है।

2. हिंदी के प्रति उत्साहवर्धक वातावरण सृजित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन संस्थानों, विश्वविद्यालयों, बोर्डों आदि के प्रमुखों से अनुरोध है कि वे हिंदी दिवस/सितंबर माह के दौरान **माननीय शिक्षा मंत्री के 'संदेश'** का पाठन अपने-अपने स्थान पर यथासमय सुनिश्चित कराएँ।

संलग्नक: यथोपरि

09/09/2025
(अजय कुमार झा)
उप निदेशक (राजभाषा)

सेवा में,

शिक्षा मंत्रालय के सभी अधीनस्थ/सम्बद्ध/स्वायत्त कार्यालयों/संस्थानों/परिषदों/ विश्वविद्यालयों/ बोर्डों आदि के प्रमुख।

Hindi Officer
10/9/25

सं. 12011/01/2022-रा.भा.ए.

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

(राजभाषा प्रभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 09 सितंबर, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालयों में हिन्दी पखवाड़े का आयोजन।

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा दिए गए सुझावों का अनुपालन करते हुए, शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन संस्थानों, विश्वविद्यालयों, बोर्डों आदि में दिनांक 16-30 सितंबर, 2025 के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जाए:-

1. दिनांक 16-30 सितंबर, 2025 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाए, जिसकी शुरुआत दीप प्रज्जवलन के साथ किया जाए। प्रारंभ में माननीय शिक्षा मंत्री जी का संदेश पढ़ा जाए।
2. इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे हिंदी निबंध प्रतियोगिता, हिंदी टिप्पण व आलेखन प्रतियोगिता एवं श्रुतलेख प्रतियोगिता, हिंदी वाद-विवाद, स्वरचित हिंदी कविता पाठ, राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता' तथा अनुवाद प्रतियोगिता आदि इस प्रकार आयोजित की जाएं कि दिनांक 16-30 सितंबर, 2025 के बीच प्रतयेक कार्यदिवस को कोई न कोई कार्यक्रम/प्रतियोगिता अवश्य हो। साथ ही कवि सम्मेलन/परिचर्चा आदि भी आयोजित किए जाएं।
3. प्रतियोगिताओं के विजेताओं हेतु नकद/पुस्तक व अन्य रूप में पुरस्कार आदि का प्रावधान रखा जाए।
4. समापन समारोह का आयोजन किया जाए जिसमें स्थानीय जन प्रतिनिधि यथा संसद सदस्य, विधानमंडल के सदस्य (वर्तमान एवं भूतपूर्व) को उनकी समय उपलब्धता के अनुसार मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाए। उपर्युक्त प्रतिनिधियों की अनुपलब्धता में, अपने उच्चाधिकारी को आमंत्रित किया जाए।

(सैय्यद इकराम रिज़वी)

संयुक्त सचिव (प्रशासन एवं राजभाषा)

सेवा में,

शिक्षा मंत्रालय के सभी अधीनस्थ/सम्बद्ध/स्वायत्त कार्यालयों/संस्थानों/परिषदों/ विश्वविद्यालयों/ बोर्डों

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

सचिव, संसदीय राजभाषा समिति

धर्मेन्द्र प्रधान
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
Dharmendra Pradhan

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

शिक्षा मंत्री
भारत सरकार
Minister of Education
Government of India

संदेश

हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ !

भारत विविधताओं से पूरिपूर्ण राष्ट्र है। यहाँ अनेक भाषाएँ और बोलियाँ बोली जाती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए ही भारतीय संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर, 1949 को एक उन्नत, समृद्ध, वैज्ञानिक और लोकप्रिय भाषा हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया एवं संविधान में इसके आधिकारिक प्रयोग के संबंध में समुचित प्रावधान किए गए।

हिंदी हमारी संस्कृति की पहचान है तथा राष्ट्रीय चेतना की भाषा है। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान को बनाए रखना तथा इसका कार्यालय में अधिक से अधिक प्रयोग करना हमारा संवैधानिक दायित्व है। सरकार और जन साधारण के बीच संपर्क, संवाद और संप्रेषण के माध्यम के रूप में नि:संदेह हिंदी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विश्व के अनेक मंचों पर व सम्मेलनों में हिंदी में अपना उद्बोधन देना, विचारों व मंतव्यों को व्यक्त करना इस बात का प्रमाण है कि सरकार इसके प्रयोग को निरंतर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाने के संवैधानिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यह अपेक्षित है कि भाषा की सहज और सरल अभिव्यक्ति के माध्यम से हिंदी में टिप्पण एवं पत्राचार को प्रोत्साहित किया जाए। यद्यपि, संघ की राजभाषा नीति का आधार सद्भावना, प्रेरणा एवं प्रोत्साहन है तथापि अन्य सरकारी अनुदेशों के अनुपालन की भांति, इससे संबंधित अनुदेशों का अनुपालन भी दृढ़तापूर्वक किया जाना चाहिए।

हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर हम यह संकल्प लें कि हम सभी गर्व और उत्साह से अपना दैनिक कार्यालयीन कार्य हिंदी में करेंगे और राजभाषा संबंधी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। मुझे विश्वास है कि हम सामूहिक प्रयासों से शिक्षा मंत्रालय एवं इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संस्थानों, निकायों, विश्वविद्यालयों आदि में राजभाषा संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे।

जय हिन्द !

(धर्मेन्द्र प्रधान)

MOE - Room No. 301, 'C' Wing, 3rd Floor, Shastri Bhavan, New Delhi-110 001, Phone : 91-11-23782387, Fax : 91-11-23382365
E-mail : minister.sm@gov.in